

प्रेम,

श्री अशोक यांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 तम्राय केन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक: 6 मई, 1999

विषय:- डीओ ज्योतिष मेमोरियल पब्लिक स्कूल डिवाइड कुन्दगढ़ को सी०बी०
एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र दिया जाना।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर जो यह कहने का निदेश हुआ है कि डीओ ज्योतिष
मेमोरियल पब्लिक स्कूल डिवाइड कुन्दगढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से
सम्बन्धता हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-
लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्त नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पूर्वोक्त सीतावली का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवर्णित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा क्षेत्रिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/राज्य सरकार दि. डब्ल्यूएन स्कूल सर्विसेज इकाई/मिशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था क्षेत्रिक एवं शिक्षण कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जावेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित बुध्न/संविदाओं में रखा जायेगा ।

19। संवत् शकों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या गिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुदत्त अनापत्त प्रमाण बन वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक मांगी
संयुक्त सचिव ।

पुं सं० ईरम 1181111/15-7-1999 तददिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुधनार्थ र्वं आधारक कार्याली हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कुलन्दगहर ।
- 4- निरीक्षक, अंग्ग भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, डा० जगदीश मेमोरियल पब्लिक स्कूल डिवाई कुलन्दगहर ।

आज्ञा से,

Asok

अशोक मांगी
संयुक्त सचिव ।